"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336] रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त 2017 —— श्रावण 11, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 (श्रावण 11, 1939)

क्रमांक-8082/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) जो बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 2017 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में,-

(एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "बीस से अधिक" के स्थान पर, शब्द "तीस से अधिक" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) इस अधिनियम में दी गई कोई भी बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन "सूक्ष्म उद्योग" के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक इकाई को लागू नहीं होगी :

परंतु राज्य सरकार, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्णरूप से, वापस ले सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है.

धारा 8 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उप-धारा (3) में, शब्द "प्रतिनिधि को भेजेगा" के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये : और

(ख) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परंतु जहां सरकार ने मानक आदेश में कोई संशोधन किया है, वहां उसे किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम को लागू स्थायी आदेशों के प्रमाणित संशोधन में सम्यक् रूप से निगमित कर लिया गया समझा जायेगा."

धारा 17 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(एक) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) कोई नियोजक, अपने स्थायी आदेशों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्यथा उपान्तरित करता है तो वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा तथा अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिये एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा."

(दो) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2) कोई नियोजक, जो स्थायी आदेश के उल्लंघन में कोई कार्य करता है तो वह जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिये एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा."

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह उप-धारा (2) के अन्तर्गत आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में,-

(क) जुर्माने से, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा और ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध क लिये पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गया हो, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा; और

(ख) अपराध के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, के लिये एक हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा."

नवीन धारा 17-क का अन्तःस्थापन.

5. मूल अधिनियम की धारा 17-क के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाये, अर्थात् :-

"17-ख. अपराधों का प्रशमन.- इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध (यदि कोई हो) के कारित किये जाने के दो वर्ष की कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का प्रशमन, या तो अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, कर सकेगा, और प्रशमन शुल्क के रूप में ऐसी राशि, जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो, किन्तु जो अपराध के लिये जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे के कम भी नहीं होगा, जैसा कि वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा, जब कि अपराध का प्रशमन-

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व, किया जाता है तो अपराधी को अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में है, तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे अपराध के प्रशमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति होगी."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत :, श्रमिक विधायन का लक्ष्य, राज्य में श्रमिकों के लिये कार्यकारी वातावरण को विनियमित करना है तथा उनके कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यकारी दशाओं को सुनिश्चित करना है;

और यत :, भारत सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं मेक इन इंडिया को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) की प्रयोज्यता को, 20 से अधिक कर्मकारों के नियोजन वाले उद्योगों के लिए शिथिल करने तथा 30 कर्मकारों से अधिक के नियोजन वाले उद्योगों पर लागू करने तथा उक्त अधिनियम की परिधि से सूक्ष्म उद्योगों को छूट देने का विनिश्चय किया गया है.

और यत :, कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, नियोजक एवं कर्मकार के मध्य हुए किसी करार को स्थायी आदेश के माने गये संशोधन अनुसार मान्यता देना प्रस्तावित है.

और यत :, वर्तमान परिदृश्य में, अधिनियम के अधीन दी गई शास्तियां, बहुत कम है, अतएव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा तद्द्वारा अधिनियम के अधीन गारंटीकृत अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन दिये गये दण्ड में उपयुक्त रूप से वृद्धि किया जाये तथा अपराधों के प्रशमन के लिये और उपबंध किया जाये.

अतएव, उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) के प्रावधानों में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 29 जुलाई, 2017

भईयालाल राजवाड़े
श्रम मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (1961 का 26)

मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 की खण्ड (ए)

प्रत्येक ऐसे उपक्रम को लागू होगा जिसमें कि कर्मचारियों की संख्या पूर्ववर्ती बारह माहों के दौरान किसी भी दिन या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिन या उसके बाद किसी भी दिन बीस से अधिक थी या है,

मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2

इस अधिनियम की कोई भी बात उपक्रम के ऐसे कर्मचारियों को प्रभावी नहीं होगी जिनको कि फन्डामेन्टल एवं सप्लीमेंटरी रूल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टेम्परेरी सर्विस) रूल्स, रिवाइजज्ड लीव्ह रूल्स, सिविल सर्विस रेग्युलेशन या ऐसे अन्य नियम या विनियम, जो कि राज्य सरकार, द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचना कर, लागू होते हों.

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3

यदि प्रमाणकर्ता अधिकारी पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन यह विनिश्चत करता है कि प्रारूप-संशोधन किन्हीं उपान्तरणों या परिवर्द्धनों, यदि कोई हो, के सहित प्रमाणित करेगा और उसके पश्चात् सात दिवस के अन्दर ऐसे संशोधनों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ नियोजक को तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि को भेजेगा.

मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1

यदि किसी उपक्रम में, जिसको छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स एक्ट, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) लागू नहीं होता है, कोई नियोजक अपने स्थायी आदेशों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपान्तरित न करके अन्यथा उपान्तरित करेगा, तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, ओर किसी प्रारंभ रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको कि अपराध के दौरान चालू रहता है, दो सौ रूपये तक का हो करेगा; व दंडित किया जायेगा.

मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2

कोई नियोजक, जो स्थायी आदेशों के उल्लंघन में कार्य करेगा, वह जुर्माने से जो एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, और किसी प्रारम्भ रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध प्रारंभ रहता है, पच्चीस रूपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जायेगा.

मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3

जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न प्रकरणों में-

(ए) जुर्माने से, जो एक सौ रूपये तक का हो सकेगा, और इस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध हेतु पूर्व में सिद्धदोष गया हो, जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, और

(बी) प्रारंभ रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है पच्चीस रूपये तक का हो सकेगा उसे दण्डित किया जायेगा.

मूल अधिनियम की धारा 17-क

(1) धारा 17 की उपधारा (2) या (3) के अधीन किसी अपराध का प्रसंज्ञान करने वाला श्रम न्यायालय, अभियुक्त व्यक्ति पर तामिल किये जाने वाले सम्मन में यह प्रकट करेगा कि वह -

(ए) अधिवक्त द्वारा उपसंजात हो सकेगा न कि व्यक्तिश, या

(बी) आरोप की सुनवाई के पूर्व ऐसे दिनांक तक जो कि उल्लिखित हो, अभिस्वीकृति अपेक्षित पंजीकृत पत्र द्वारा आरोप की स्वीकार कर सकेगा ओर श्रम न्यायालय को ऐसी धनराशि भेज सकेगा जिसे कि उक्त अपराध के लिए विहित जुर्माने की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, न्यायालय उल्लिखित करें.

(2) जहां अभियुक्त व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अपराध स्वीकार कर ले तथा धनराशि भेज दे, वहां उसके विरूद्ध अपराध के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी.

(3) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात -

(ए) धारा 17 की उपधारा (2) उपधारा (3) के खंड (बी) के अधीन निरंतर अपराध को,

(बी) धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अधीन पूर्व में सिद्धदोष ठहराने गये व्यक्ति को, लागू नहीं होगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.